न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 122/2022

जीसीएमएस नम्बर :– 2022/286

अनवान

1. उदा पिता रंगु गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1. संतोकी पत्नी उदा गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2. लक्षमण पिता उदा गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3. सुखी पुत्री उदा गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/4. गणकी देवी पुत्री उदा गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. लेहरी पत्नी सोहनलाल गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लैण्ड हॉल्डर जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता प्रार्थी
2. हरिश चन्द टेलर – अधिवक्ता विपक्षी 1
3. विपक्षी संख्या 3 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः– 12/5/26

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि –

1. राजस्व ग्राम खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 की शामलाती कृषि आराजियात खाता संख्या 42 में अंकित आराजी संख्या 1241 रकबा 0.43 हैक्ट., आ.सं. 3289/1486 रकबा 0.09 हेक्ट., आ.सं. 3291/1484 रकबा 0.02 हेक्ट, आ.स. 3293/1482 रकबा 0.73 हैक्ट., आ.सं. 3297/1485 रकबा 0.67 हेक्ट., आ.सं. 3302/1462 रकबा 0.05 हेक्ट. , आ.स. 3308/1459 रकबा 0.22 हैक्ट., आ.सं. 3310/1457 रकबा 0.03 हैक्ट., आ.स. 3312/1242 रकबा 0.05 हैक्ट. कुल किता 9 कुल रकबा 2.29 हैक्ट. भूमि स्थित हैं। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश है।
2. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में अंकित कृषि आराजियात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या दो का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थी एवं विपक्षी वादग्रस्त भूमी में अपने 1/2 हिस्से पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमियां प्रार्थी एवं विपक्षी की शामलाती कृषि आराजियात है जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी ने आ.सं. 3312/1242 रकबा 0.05 हैक्ट में अपने हिस्से पर एक ट्यूब्बैल लगवा रखी है जिससे प्रार्थी के

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

हक एवं हिस्से की भूमियों की सिंचाई होती है। वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी अपने 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चला आ रहा है परंतु विपक्षी संख्या एक आए दिन प्रार्थी के हक एवं हिस्से में नाजायज दखलंदाजी करती रहती हैं तथा प्रार्थी की फसल का नुकसान कर देती हैं तथा प्रार्थी की ट्युब्बैल में नाजायज दखलंदाजी कर प्रार्थी को अपनी भूमी की सिंचाई नहीं करने देती हैं एवं बिना विभाजन कराए ही प्रार्थी के कब्जे काश्त की संयुक्त शामलाती भूमी को अन्य को रहन, बय बक्षीस करने पर आमादा हैं तथा प्रार्थी के कब्जेकाश्त की भूमी में अजनबी व्यक्ति को प्रवेश करा प्रार्थी को उसके कब्जे से बेदखल कराने पर आमादा है जिससे बहक प्रार्थी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया हैं।

3. प्रार्थी का प्रथमदृष्टया मामला हैं। वादग्रस्त भूमियां प्रार्थी की खातेदारी कृषि भुमियां है जो विपक्षी एवं प्रार्थी के शामलाती दर्ज होकर शामलाती का चला आ रहा है तथा प्रार्थी ने आ. सं. 3312/1242 रकबा 0.05 हैक्ट में अपने हिस्से में ट्युब्बैल खुदवा रखी हैं परंतु विपक्षी आए दिन प्रार्थी के 1/2 हक एवं हिस्से की कृषि भूमियों में नाजायज दखलंदाजी करती रहती हैं तथा प्रार्थी को उसकी ट्युब्बैल का उपयोग उपभोग नहीं करने देती हैं तथा प्रार्थी के कब्जे एवं हिस्से की भूमियों को बिना विभाजन कराए ही विक्रय कर प्रार्थी के कब्जेकाश्त में अजनबी क्रेता को प्रवेश करा प्रार्थी को बेंदखल करने पर आमादा हैं। यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन अर्थ में नहीं किया जा सकेगा तथा सबसे ज्यादा असुविधा प्रार्थी होगी।

4. अतः एव श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि बहक प्रार्थी विरूद्ध विपक्षीगण ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की सादिर फरमाई जाए कि ग्राम खेमाणा के खाता संख्या 42 में अंकित आराजी संख्या 1241 रकबा 0.43 हैक्ट., आ.सं. 3289/1486 रकबा 0.09 हेक्ट., आ.सं. 3291/1484 रकबा 0.02 हेक्ट., आ.स. 3293/1482 रकबा 0.73 हैक्ट., आ.सं. 3297/1485 रकबा 0.67 हेक्ट, आ.सं. 3302/1462 रकबा 0.05 हेक्ट., आ.स. 3308/1459 रकबा 0.22 हैक्ट., आ.सं. 3310/1457 रकबा 0.03 हैक्ट., आ.स. 3312/1242 रकबा 0.05 हैक्ट. कुल किता 9 कुल रकबा 2.29 हैक्ट. भूमि में प्रार्थी के हिस्से की भूमियों में तथा आ.सं. 3312/1242 में बनी हुई प्रार्थी की ट्युब्बैल में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमीयो तथा ट्युबवैल का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा जब तक उक्त भूमियों का विधिवत विभाजन नही हो जाए तब तक विपक्षीगण उक्त भूमियों को किसी अन्य को रहन बय बक्षीस नहीं करे तथा राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे तथा अजनबी व्यक्ति को भूमी में प्रवेश नहीं कराए।

5. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 3 बावजुद सूचना उपस्थित नहीं होने से दिनांक 09.02.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता हरिशचन्द टेलर उपस्थित जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।

6. विपक्षी संख्या 1 की ओर से अपने जवाब में अंकन किया कि उक्त वर्णित आराजियात्त प्रार्थी एवं विपक्षीयां के सामलाती दर्ज होकर स्थित होना स्वीकार है, किन्तु विपक्षीया के पति सोहनलालजी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

व प्रार्थी उदा के मध्य वर्षों पूर्व मौके पर विभाजन हो चुका हैं. और विपक्षीया के पति सोहनलालजी ने हमारे हिस्से में ट्यूबवेल भी करवा रखी है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजियात में विपक्षीया का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड होकर निहित हैं व 1/2 हिस्सा प्रार्थी का दर्ज होना स्वीकार हैं। किन्तु भूमिया संयुक्त कब्जे काश्त की नहीं है, बल्कि वर्षों से हुए बंटवाडे के अनुसार प्रार्थी एवं में विपक्षीया मौके पर काबिज होकर भूमियों का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी संख्या 3312/1242 रकबा 0.05 हैक्ट. भूमि मुझ विपक्षीयां के विभाजन के अनुसार विपक्षीया के कब्जे में हैं, और इसमें लगी हुई ट्युबवेल भी विपक्षीया के पति सोहनलाल ने खुदवाई है। और इस पर विपक्षीया का ही कब्जा है। और इसका उपयोग उपभोग में विपक्षीयां ही करती चली आ रही है। प्रार्थी का इस ट्युबवेल में कोई हक एवं हिस्सा नहीं है। न ही कोई अधिकार है। न ही प्रार्थी ने ट्युबवेल में कोई खर्चा ही लगाया है, किन्तु विपक्षीयां के कोई स्त्री एवं पुरुष औलाद नहीं हीने से प्राथी ने कई बार ट्युबवेल के साथ छेड़खानी की और पानी ले जाने का जबरन असफल प्रयास किया। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर विपक्षीया की उक्त ट्युबवेल व मेरे कब्जे शुदा व हिस्से की भूमियों को हड़पना चाहता है।

7. प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात में उसके 1/2 हिस्से जो वर्षों पूर्व हुए विभाजन में प्रार्थी के हिस्से में आया है और काबिज होकर काश्त कर रहा हैं, और में उसी प्रकार विभाजन में आये मेरे पति सोहनलाल के हिस्से पर में काबिज होकर में विपक्षीया काश्त कर रही है, और काश्त लाभ ले रही है, तथा उक्त ट्युबवेल मुझ विपक्षीया के कब्जेशुदा हिस्से में ही होने से मैं विपक्षीयां तन्हा रूप से इसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा प्रार्थी एवं विपक्षीया के हक एवं हिस्से की कब्जे शुदा भूमियों में किसी भी पक्षकार का कोई दखल या व्यवधान नहीं है। जब मौके पर विभाजन से हिस्से ही अलग-अलग है, तो विपक्षीयां द्वारा प्रार्थी की फसल काश्त में नुकसान करने का तथ्य भी गलत अंकित किया हैं, और जब ट्युबवेल विपक्षीया के कब्जेशुदा हिस्से में मेरे पति द्वारा खुदवाई गई है और उसमें प्रार्थी का कोई हक एवं हिस्सा हैं ही नहीं, तो उसके द्वारा सिंचाई करने का भी उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। और विपक्षीयां को मेरा सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय करने का पूर्ण कानूनी अधिकार हैं। उसमें प्रार्थी की कानूनन रोकने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। जब मौके पर विभाजन से प्राथी एवं विपक्षीयां के हिस्से ही अलग-अलग हो चुके हैं, और उस पर वर्षों से अलग-अलग काबिज है, तो विपक्षीयां द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा होने का तथ्य भी गलत अंकित किया है। इसलिये प्रार्थी विपक्षीया के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने का अधिकारी नहीं है।

8. मजीद कथन में निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र धारा 188 के तहत् स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी करवाने का प्रस्तुत किया गया है जो अनुसांगिक अनुतोष है, जबकि उक्त प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुसार मुख्य अनुतोष विभाजन का है। बिना विभाजन के अनुतोष की मांग किये सहखतेदार के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी व विपक्षीया वादग्रस्त आराजियात के सह खातेदार है। वादग्रस्त आराजियात का प्रत्येक इंच पर कब्जा व हिस्सा माना जाता है। ऐसी स्थिति में सहखातेदार के विरूद्व कोई भी खातेदार किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का कानूनन अधिकारी नहीं होता है। इसलिए वादपत्र काननून चलने योग्य नहीं है। अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।

9. प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन है किया कि ग्राम खेमाणा के खाता संख्या 42 में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 का 1/2–1/2 संयुक्त आधिपत्य की कृषि आराजियात है। प्रार्थी ने आराजी संख्या 3812/1242 में ट्यूबवेल बनाया बिजली कनेक्शन ले रखा है बिल पेश किया गया है। विपक्षी द्वारा ट्यूबवेल में दखलदांजी की जा रही है। वादग्रस्त भूमियों का जब तक विभाजन न हो तब तक विपक्षी किसी को आराजियात का बेचान नहीं करे। प्रार्थी के हिस्से की भूमियो में विपक्षी काश्त करने से रोक रहे है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए।

10. विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि मूल वाद केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र धारा 212 के तहत् पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमियों का मुख्य आधार विभाजन का है तो वादी को विभाजन का वाद पेश करना चाहिए था परन्तु वादी द्वारा वादपत्र में विभाजन का अनुतोष नहीं चाहा गया है। संयुक्त खातेदारी में कुआं खोदा जाना विरोधाभासी है। वादग्रस्त भूमियों का विपक्षीया द्वारा बैचान नही किया जा सके इसलिए वाद पेश किया गया है। अपनी खातेदारी अधिकार की भूमि को बेचान करने का अधिकार खातेदार को है। सह खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त आराजियात में ट्यूबवेल अपने हिस्से में खुदे होने का कोई साक्ष्य प्रार्थी / वादी ने पेश नहीं किए गए है। ट्यूबवेल विपक्षीया के पति ने खुदवाई है। विपक्षीया के पति की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी की विपक्षीया की भूमि हड़पने की नियत है। विपक्षीया द्वारा मूलवाद में वादग्रस्त आराजियात के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत् काउन्टर क्लेम पेश किया गया है। वादग्रस्त आरायिजात का वर्षो पूर्व विभाजन हुआ है परन्तु राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं हुआ है। प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाए।

11. विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर प्रतिउत्तर में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड अलग नहीं होने तक संयुक्त खातेदारी है। उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। ट्यूबवेल के खोदने के कोई साक्ष्य पेश नहीं किए गए है। विभाजन के लिए काउन्टर क्लेम पेश कर दिया है। जब तक विभाजन नहीं हो तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए।

12. दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी एवं विपक्षी द्वारा एक दुसरे के कब्जे काश्त में दखलदांजी ना करने पर सहमति व्यक्त की गई।

13. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण व विपक्षीया की संयुक्त आधिपत्य की खातेदारी कृषि अराजियात है। वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में उभयपक्ष एक दुसरे के कब्जे में दखलदांजी नहीं कर राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा सहमति देते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाने का निवेदन किया गया। वादग्रस्त भूमि को रहन, बय, बक्षीस या विकय कर दिया जाता है तो वाद के निर्णय में अनावश्यक विलम्ब होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 की शामलाती कृषि आराजियात खाता संख्या 42 में अंकित आराजी संख्या 1241 रकबा 0.43 हैक्ट., आ.सं. 3289/1486 रकबा 0.09 हेक्ट., आ. सं. 3291/1484 रकबा 0.02 हेक्ट., आ.स. 3293/1482 रकबा 0.73 हैक्ट., आ.सं. 3297/1485 रकबा 0.67 हेक्ट., आ.सं. 3302/1462 रकबा 0.05 हेक्ट., आ.स. 3308/1459 रकबा 0.22 हैक्ट., आ.सं. 3310/1457 रकबा 0.03 हैक्ट., आ.स. 3312/1242 रकबा 0.05 हैक्ट. कुल किता 9 कुल रकबा 2.29 हैक्ट. भूमि को उभयपक्ष किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस नहीं करे तथा उभयपक्ष के कब्जे काश्त से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें न अन्य से करावें। उभयपक्ष को शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त करने देंवे। तथा उभयपक्ष के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न किसी अन्य करावे। वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। इस प्रकरण संख्या 122/2022 में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी यदि कोई आदेश हो तो उसे इस आदेश से प्रतिस्थापित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12/5/26 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर
रायपुर